

3/50
5/9/20

146



प्राथमिकता स्पीड पोस्ट
अ0शा0प0सं-टी-34 /दस-13/96.

मश कुमार,
मुख्य सचिव, वित्त एवं सचिव,
उ0प्र0 पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सज
सहायता संस्थान।

नवीन भवन,
उ0प्र0 सचिवालय।
लखनऊ: दिनांक: 27 जनवरी, 2020.

श/म/

प्रिय महोदय,

14/1/20
श्री. मश कुमार, मुख्य सचिव, वित्त एवं सचिव, उ0प्र0 पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सज सहायता संस्थान।

कृपया अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सज सहायता संस्थान की प्रबन्ध समिति द्वारा वार्षिक शिक्षा अनुदान की दरों को दिनांक 01-01-2020 से निम्नवत् बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है :-

अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्य सचिव, वित्त एवं सचिव, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय लखनऊ।

3.2.2020

क्र0सं0	कक्षा/पाठ्यक्रम	दिनांक 01-01-2020 से पुनरीक्षित दर
1-	9 से 12 तक	9,000/-
2-	बी.ए./बी.काम./बी.एस.सी./बी.टी.सी./बी.एड./एल.टी./एल.एल.बी.	25,000/-
3-	एम.ए./एम.काम./एम.एस.सी./एल.एल.एम./एम.एस.डब्ल्यू./एम.एड.	36,000/-
4-	पी.एच.डी./एल.एल.डी. तथा एम.फिल.	75,000/-

श्री. मश कुमार, मुख्य सचिव, वित्त एवं सचिव, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय लखनऊ।

ADG(L10)

प्राविधिक/मैनेजीरियल/व्यवसायिक शिक्षा :

क्र0सं0	पाठ्यक्रम	दिनांक 01-01-2020 से पुनरीक्षित दर
1-	आई.टी.आई. सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम (जहाँ पर भर्ती के लिये न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल या उसके समकक्ष हो)	15,000/-
2-	डिप्लोमा पाठ्यक्रम (जहाँ पर भर्ती के लिये न्यूनतम योग्यता इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष हो)	25,000/-
3-	डिग्री पाठ्यक्रमों जैसे-बी.सी.ए./बी.बी.ए./बी.डी.एस./बी.यू.एम.एस./बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस.	30,000/-
4-	बी.टेक./एम.टेक. तथा एम.सी.ए./एम.बी.ए.	60,000/-
5-	एम.बी.बी.एस.	1,00,000/-

ADG(L10)

30/1/2020

ADG PMD

प्रबन्ध समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि शहीद की आश्रिता पत्नी एवं बच्चों द्वारा व्यवसायिक प्रशिक्षण/कोर्स करके रोजगार स्थापित करना चाहते हैं तो कोर्स में प्रशिक्षण तथा उससे संबंधित उपकरण क्रय करने हेतु संस्थान द्वारा एकमुश्त धनराशि ₹20,000/- की सहायता प्रदान की जाएगी।

अपर पुलिस महानिदेशक, कोकून-व्यवस्था उ0प्र0, लखनऊ 1.2.20

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि कृपया तदनुसार प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु संबंधित कार्यालयों को प्राथमिकता के आधार पर सूचित करने का कष्ट करें।

...2/-

3- कृपया कृत कार्यवाही से अवगत भी कराने का कष्ट करें।

सादर ।

भवदीय,

Bh

(भुवनेश कुमार)

3

1- श्री ओ०पी० सिंह,
पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०,
1-तिलक मार्ग,
लखनऊ-226001.

2- श्री वी०के० सिंह,
अपर पुलिस महानिदेशक,
पी०ए०सी० मुख्यालय, उ०प्र०,
महानगर,
लखनऊ-226006.

अ०शा०प०संख्या-टी- (1)/दस-13/96 तददिनांक।

प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(भुवनेश कुमार)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज - 1

संख्या:12ए-142(आर्म्ड फोर्सिज शिक्षा सहा०पुनरीक्षित)-2019 दिनांक:फरवरी 29, 2019

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

विषय: उ०प्र०पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सिज सहायता संस्थान द्वारा वार्षिक शिक्षा सहायता की दरों को दिनांक दिनांक 29.01.2019 से पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० के पत्र संख्या: डीजी-चार-112ए(12) 2007 पार्ट-1। दिनांक 06.02.2019 के साथ संलग्नक अजय कुमार शुक्ला, सचिव वित्त एवं सचिव उ०प्र० पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सिज सहायता संस्थान के अ०शा०पत्र सं० टी-23/दस-13/96 दिनांक 31.01.2019 की संलग्न छायाप्रति का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो उ०प्र०पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सिज सहायता संस्थान द्वारा वार्षिक शिक्षा सहायता की दरों को दिनांक 29.01.2019 से पुनरीक्षित किया गया है।

2. उ०प्र०पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सिज सहायता संस्थान द्वारा वर्तमान में वार्षिक शिक्षा सहायता की दरें विभिन्न कक्षाओं/पाठ्यक्रमों के लिये निम्नानुसार है:-


क्र० सं०	कक्षा/पाठ्यक्रम	दिनांक 29.01.2019 से लागू दर
1	2	3
1	9 से 10 तक	9,000/-
2	11 से 12 तक	9,000/-
3	बी०ए०/बी०कॉम/बी०एस०सी०/बी०टी०सी०/बी०एड०/एल०टी०/एल०एल०बी०	15,000/-
4	एम०ए०/एम०कॉम०/एम०एस०सी०/एल०एल०एम०/एम०एस०डब्लू०/एम०एड०	18,000/-
5	पी०एच०डी०/एल०एल०डी० तथा एम०फिल०	75,000/-

प्राविधिक/मैनेजीरियल/व्यवसायिक शिक्षा:-

क्र० सं०	प्राविधिक/मैनेजीरियल/व्यवसायिक शिक्षा:-	दिनांक 29.01.2019 से लागू दर
1	2	3
1	आई०टी०आई० सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम (जहाँ पर भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता हाई-स्कूल या उसके समकक्ष हो)	15,000/-
2	डिप्लोमा पाठ्यक्रम (जहाँ पर भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष हो)	18,000/-
3	डिग्री पाठ्यक्रमों जैसे-बी०सी०ए०/बी०बी०ए०/बी०डी०एस०/बी०यू०एम०एस०/बी०ए०एम०एस०/बी०एच०एम०एस०	30,000/-
4	बी०टेक०, एम०टेक० तथा एम०बी०बी०एस०/एम०सी०ए०/एम०बी०ए०	48,000/-

3. अतएव मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ के माध्यम से प्राप्त अजय कुमार शुक्ला, सचिव वित्त एवं सचिव उ०प्र० पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सज सहायता संस्थान के अ०शा०पत्र सं० टी-23/दस-13/96 दिनांक 31.01.2019 की छायाप्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया निर्देशानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।


13.02.19

(ममता रानी चौधरी)

अपर पुलिस अधीक्षक, भवन/कल्याण
उ०प्र० पुलिस मुख्यालय,
प्रयागराज।

प्रतिलिपि:-

1. श्री अजय कुमार शुक्ला, सचिव वित्त एवं सचिव उ०प्र० पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सज सहायता संस्थान को उनके अ०शा०पत्र संख्या-टी-23/दस-13/96 दिनांक 31.01.2019 के सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ।
2. पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ को उनके पत्र संख्या: डीजी-चार-112ए(12) 2007 पार्ट-॥ दिनांक 06.02.2019 के सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ।

Produced with

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

1-तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्या-डीजी-चार-112ए(12)2007 पार्ट-11
सेवा में,

दिनांक: लखनऊ: फरवरी 6, 2019

अपर पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय
प्रयागराज।

अपर पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय
प्रयागराज

कृपया श्री अजय कुमार शुक्ला, सचिव वित्त एवं सचिव उ०प्र० पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सिंग सहायता संस्थान के अ०शा०पत्र सं०-टी-23/दस-13/96, दिनांक 31.01.2019 की संलग्न मूल्यवति का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ०प्र० पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सिंग सहायता संस्थान द्वारा वार्षिक शिक्षा सहायता की दरों को दिनांक: 29.01.2019 से पुनरीक्षित किया गया है।

2- शासन के उक्त पत्र दिनांक: 31.01.2019 में सम्बन्धित कार्यालयों को प्राथमिकता के आधार पर सूचित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

3- निदेशानुसार अनुरोध है कि कृपया संस्थान के संलग्न पत्र में उल्लिखित तथ्यों एवं संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता की लिखित जानकारी प्रदान किये जाने हेतु पुलिस मुख्यालय स्तर से सर्वसंबन्धित को आवश्यक दिशा- निर्देश निर्गत करने की कृपा करें तथा कृत कार्यवाही से सचिव वित्त एवं सचिव उ०प्र० पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सिंग सहायता संस्थान को सूचित करते हुये इस मुख्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(अनिल कुमार) 6/2/19

पुलिस उपाधीक्षक(स्थापना)

पुलिस महानिदेशक(स्थापना)
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-

1. अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी, उ०प्र० लखनऊ को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. श्री अजय कुमार शुक्ला, सचिव वित्त एवं सचिव उ०प्र० पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सिंग सहायता संस्थान को उनके अ०शा०पत्र सं०-टी-23/दस-13/96, दिनांक 31.01.2019 के संदर्भ में कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Sai Shyam Lal

For n.a.pl.

07/02/19

अजय कुमार शुक्ला,
 सचिव, उ०प्र० पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सोंज
 सहायता संस्थान



प्राथमिकता स्पीड पोस्ट
 अ०शा०प०सं-टी-23 /दस-13/96.

नवीन भवन,
 उ०प्र० सचिवालय
 लखनऊ: दिनांक: 31 जनवरी, 2019.

प्रिय महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सोंज सहायता संस्थान द्वारा वार्षिक शिक्षा सहायता की दरों को दिनांक 29-01-2019 से पुनरीक्षित किया गया है।

वर्तमान में वार्षिक शिक्षा सहायता की दरें विभिन्न कक्षाओं/पाठ्यक्रमों के लिये निम्नानुसार है :-

कक्षा/पाठ्यक्रम	दिनांक 29-01-2019 से लागू दर
1. 9 से 10 तक	9,000/-
2. 11 से 12 तक	9,000/-
3. बी.ए./बी.काम./बी.एस.सी./बी.टी.सी./बी.एड./एल.टी./एल.एल.बी.	15,000/-
4. एम.ए./एम.काम./एम.एस.सी./एल.एल.एम./एम.एस.डब्ल्यू./एम.एड.	18,000/-
5. पी.एच.डी./एल.एल.डी. तथा एम.फिल.	75,000/-

प्राविधिक/मैनेजीरियल/व्यवसायिक शिक्षा :

1. आई.टी.आई. सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम(जहाँ पर भर्ती के लिये न्यूनतम योग्यता हाई-स्कूल या उसके समकक्ष हो)	15,000/-
2. डिप्लोमा पाठ्यक्रम (जहाँ पर भर्ती के लिये न्यूनतम योग्यता इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष हो)	18,000/-
3. डिग्री पाठ्यक्रमों जैसे-बी.सी.ए./बी.बी.ए./बी.डी.एस./बी.यू.एम.एस./बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस.	30,000/-
4. बी.टेक., एम.टेक. तथा एम.बी.बी.एस./एम.सी.ए./एम.बी.ए.	48,000/-

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि कृपया तदनुसार प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु संबंधित कार्यालयों को प्राथमिकता के आधार पर सूचित करने का कष्ट करें।

3- कृपया कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को प्राथमिकता के आधार पर अवगत कराने का कष्ट करें।

आपका

भवदीय,

(अजय कुमार शुक्ला)

उ०प्र० पुलिस महानिदेशक (स्थापना)
 मुख्यालय पुलिस महानिदेशक
 ज०सं०, लखनऊ
 1- श्री ओ०पी० सिंह,
 पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०,
 1-तिलक मार्ग,
 लखनऊ-226001.

ॐ

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज - 1

संख्या:12ए-142(आर्म्ड फोर्सज सहायता संस्थान)-2018 दिनांक:नवम्बर/9, 2018

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

विषय: उ0प्र0पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सज सहायता संस्थान की प्रबन्ध समिति की दिनांक 04.10.2018 को सम्पन्न हुयी बैठक में अनुग्रह अनुदान एवं लड़की की शादी हेतु प्रदान की जाने वाली सहायता दरों को दिनांक 04.10.2018 से पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के पत्र संख्या: डीजी-चार-112ए(12) 2007 पार्ट-1। दिनांक 25.10.2018 के साथ संलग्नक अजय कुमार शुक्ला, सचिव वित्त एवं सचिव उ0प्र0 पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सज सहायता संस्थान के अ0शा0पत्र सं0 टी-187/दस-13/96 दिनांक 17.10.2018 की संलग्न छायाप्रति का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो उ0प्र0पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सज सहायता संस्थान की प्रबन्ध समिति की दिनांक 04.10.2018 को सम्पन्न हुयी बैठक में अनुग्रह अनुदान एवं लड़की की शादी हेतु प्रदान की जाने वाली सहायता दरों को दिनांक 04.10.2018 से पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में है।

2. उ0प्र0पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सज सहायता संस्थान की प्रबन्ध समिति की दिनांक 04.10.2018 को सम्पन्न हुयी बैठक में अनुग्रह अनुदान एवं लड़की की शादी हेतु प्रदान की जाने वाली सहायता दरों को निम्नानुसार दिनांक 04.10.2018 से पुनरीक्षित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

क्र0 सं0	अनुग्रह अनुदान	दिनांक 19.07.2013 से 03.10.2018 तक के मामलों में (रु0)	दिनांक 04.10.2018 से व उसके बाद के मामलों में (रु0)
1	2	3	4
1	वीरगति को प्राप्त मामलों में	6,00,000/-	10,00,000/-
2	स्थायी रूप से अपंग घोषित मामलों में (अपंगता के आधार पर सेवानिवृत्त होने पर)	3,00,000/-	6,00,000/-
3	लड़की की शादी हेतु प्रदान की जाने वाली सहायता की राशि	1,50,000/-	2,00,000/-

3. अनुग्रह अनुदान के रूप में प्रदान की जाने वाली सहायता की धनराशि रु0 10,00,000/- में से रु0 4,00,000/- आश्रिता (पत्नी) को चेक द्वारा भुगतान किया जायेगा और रु0 3,00,000/- शहीद कर्मी के माता/पिता को चेक द्वारा भुगतान किया जायेगा तथा शेष धनराशि


रु0 3,00,000/- की फिक्सड डिपोजिट रसीद तीन वर्ष की अवधि के लिये आश्रिता की पत्नी के नाम से इस प्रतिबन्ध के साथ बनाकर दी जायेगी कि इस फिक्सड डिपोजिट रसीद में जमा धनराशि को तीन वर्ष के बाद ही निकाला जायेगा। यदि शहीद कर्मी के माता/पिता जीवित नहीं हैं, तो धनराशि रु0 7,00,000/- आश्रिता की पत्नी को चेक द्वारा भुगतान किया जायेगा तथा शेष धनराशि रु0 3,00,000/- की फिक्सड डिपोजिट रसीद तीन वर्ष की अवधि के लिये आश्रिता पत्नी के नाम से इस प्रतिबन्ध के साथ बनाकर दी जायेगी कि इस फिक्सड डिपोजिट रसीद में जमा धनराशि को तीन वर्ष के बाद ही निकाला जायेगा। यदि कर्मी अविवाहित है तो धनराशि रु0 10,00,000/- का भुगतान चेक द्वारा उत्तराधिकारियों को किया जायेगा।

4. उ0प्र0पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सोज सहायता संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता दरें दिनांक 04.10.2018 से पुनरीक्षित की गयी है। दिनांक 04.10.2018 से व उसके बाद के मामलों में निर्धारित की गयी उपरोक्त प्रक्रिया लागू होगी।

5. उ0प्र0पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सोज सहायता संस्थान को अनुदान से सम्बन्धित भेजे जाने वाले आवेदन पत्र में प्रार्थिनी/लाभार्थी एवं शहीद कर्मी के माता/पिता के नाम के साथ-साथ उनके बैंक खाता संख्या से सम्बन्धित अभिलेख को भी संलग्न कर भेजा जाना आवश्यक है। जिससे कि संस्थान द्वारा लाभार्थियों के नाम से निर्गत की जाने वाली चेक में उनके बैंक खाता संख्या का भी उल्लेख किया जा सके। संस्थान से प्राप्त निर्धारित आवेदन-पत्र का प्रारूप संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

6. अतएव मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के माध्यम से प्राप्त अजय कुमार शुक्ला, सचिव वित्त एवं सचिव उ0प्र0 पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सोज सहायता संस्थान के अ0शा0पत्र सं0 टी-187/दस-13/96 दिनांक 17.10.2018 की छायाप्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया निर्देशानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।


19.11.18

(ममता रानी चौधरी)

अपर पुलिस अधीक्षक, भवन/कल्याण
उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय,
प्रयागराज।

प्रतिलिपि:-

1. श्री अजय कुमार शुक्ला, सचिव वित्त एवं सचिव उ0प्र0पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सोज सहायता संस्थान को उनके अ0शा0पत्र संख्या-187/दस-13/96 दिनांक 17.10.2018 के सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ।
2. पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या: डीजी-चार-112ए(12) 2007 पार्ट-11 दिनांक 25.10.2018 के सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ।

R. 3408

29/10

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

फैक्स/आवश्यक/प्राथमिकता/आजही निर्गत

1-तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्या-डीजी-चार-112ए(12)2007 पार्ट-1।
सेवा में,

दिनांक: लखनऊ: अक्टूबर 25, 2018

✓ अपर पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय
इलाहाबाद।

अपर पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय
इलाहाबाद
29/10/2018

कृपया श्री अजय कुमार शुक्ला, सचिव वित्त एवं सचिव उ०प्र० पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सज सहायता संस्थान के अ०शा०पत्र सं० टी-187/दस-13/96, दिनांक 17.10.2018 की संलग्न छायाप्रति का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो उ०प्र० पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सज सहायता संस्थान की प्रबन्ध समिति की दिनांक 04-10-2018 को सम्पन्न हुयी बैठक में अनुग्रह अनुदान एवं लड़की की शादी हेतु प्रदान की जाने वाली सहायता दरों को दिनांक 04-10-2018 से पुनरीक्षित किये जाने के संबंध में है।

2- निदेशानुसार अनुरोध है कि कृपया संस्थान के संलग्न पत्र में उल्लिखित तथ्यों एवं संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता की लिखित जानकारी प्रदान किये जाने हेतु पुलिस मुख्यालय स्तर से सर्वसंबंधित को आवश्यक दिशा- निर्देश निर्गत करने की कृपा करें तथा कृत कार्यवाही से सचिव वित्त एवं सचिव उ०प्र० पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सज सहायता संस्थान को सूचित करते हुये इस मुख्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।
संलग्नक: यथोपरि।

(डा०राकेश शंकर)

पुलिस उपमहानिरीक्षक(कार्मिक)
कृते-पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना)
उ०प्र०लखनऊ।

प्रतिलिपि :- 1. अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी, उ०प्र० लखनऊ को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. श्री अजय कुमार शुक्ला, सचिव वित्त एवं सचिव उ०प्र० पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सज सहायता संस्थान को उनके अ०शा०पत्र सं० टी-187/दस-13/96, दिनांक 17.10.2018 के संदर्भ में कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अजय कुमार शुक्ला,
सचिव, वित्त एवं सचिव,
उ०प्र० पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज
सहायता संस्थान।



प्राथमिकता स्पीड पोस्ट
अ०शा०प०सं-टी-187/दस-13/96.

नवीन भवन,
उ०प्र० सचिवालय।

लखनऊ: दिनांक: 17 अक्टूबर, 2018.

प्रिय महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान की प्रतिबन्ध समिति की दिनांक 04-10-2018 को सम्पन्न हुई बैठक में अनुग्रह अनुदान एवं लड़की की शादी हेतु प्रदान की जाने वाली सहायता की दरों को निम्नानुसार दिनांक 04 अक्टूबर, 2018 से पुनरीक्षित किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

दि० 19.07.13 से दि० 04.10.2018
03.10.18 तक के से व उसके बाद
मामलों में (₹) के मामलों में (₹)

अनुग्रह अनुदान :-

- 1- वीरगति को प्राप्त मामलों में : 6,00,000/- 10,00,000/-
- 2- स्थायी रूप से अपंग घोषित मामलों में : 3,00,000/- 6,00,000/-
(अपंगता के आधार पर सेवानिवृत्त होने पर)
- 3- लड़की की शादी हेतु प्रदान की जाने वाली सहायता की राशि ₹1,50,000/- से बढ़ाकर ₹2,00,000/- कर दी गयी है।

नोट : अनुग्रह अनुदान के रूप में प्रदान की जाने वाली सहायता की धनराशि ₹10,00,000/- में से ₹4,00,000/- आश्रिता (पत्नी) को चेक द्वारा भुगतान किया जायेगा और ₹3,00,000/- शहीद कर्मी के माता/पिता को चेक द्वारा भुगतान किया जायेगा तथा शेष धनराशि ₹3,00,000/- की फिक्सड डिपोजिट रसीद तीन वर्ष की अवधि के लिये आश्रिता पत्नी के नाम से इस प्रतिबन्ध के साथ बनाकर दी जायेगी कि इस फिक्सड डिपोजिट रसीद में जमा धनराशि को तीन वर्ष के बाद ही निकाला जायेगा।

यदि शहीद कर्मी के माता/पिता जीवित नहीं हैं, तो धनराशि ₹7,00,000/- आश्रिता (पत्नी) को चेक द्वारा भुगतान किया जायेगा तथा शेष धनराशि ₹3,00,000/- की फिक्सड डिपोजिट रसीद तीन वर्ष की अवधि के लिये आश्रिता पत्नी के नाम से इस प्रतिबन्ध के साथ बनाकर दी जायेगी कि इस फिक्सड डिपोजिट रसीद में जमा धनराशि को तीन वर्ष के बाद ही निकाला जायेगा। यदि कर्मी अविवाहित है तो धनराशि ₹10,00,000/- का भुगतान चेक द्वारा उत्तराधिकारियों को किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि उ०प्र० पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता की दरें दिनांक 04-10-2018 से पुनरीक्षित की गयी है। दिनांक 04-10-2018 से व उसके बाद के मामलों में निर्धारित की गयी उपरोक्त प्रक्रिया लागू होगी। उ०प्र० पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान को अनुदान

....2/-

ADS(E)

Q

पुलिस महानिदेशक
उ०प्र०

19/10/18

HC-IV

Jame

J

अपर पुलिस महानिदेशक (स्थापित)
मुख्यलय पुलिस महानिदेशक
उ०प्र०, लखनऊ

20/10/18

अक्षय

20/10/18

20/10/18

से संबंधित भेजे जाने वाले आवेदन-पत्र में प्रार्थिनी/लाभार्थी एवं शहीद कर्मी के माता/पिता के नाम के साथ-साथ उनके बैंक खाता संख्या से सम्बन्धित अभिलेख को भी संलग्न कर भेजा जाना आवश्यक है। जिससे कि संस्थान द्वारा लाभार्थियों के नाम से निर्गत की जाने वाली चेक में उनके बैंक खाता संख्या का भी उल्लेख किया जा सके। संस्थान द्वारा निर्धारित आवेदन-पत्र का प्रारूप संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। कृपया आवश्यकतानुसार इसकी फोटो कापी/प्रिन्ट कराने का कष्ट करें। कृपया तदनुसार प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु संबंधित कार्यालयों को प्राथमिकता के आधार पर निर्देशित/सूचित करने का कष्ट करें।

3- संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता की लिखित जानकारी अपने विभाग के कर्मियों को भी प्राप्त करा दें, जिससे कि संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता की जानकारी हो जाये और इससे पात्र लोग लाभान्वित हो सके। संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता की दरों एवं अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया आदि का उल्लेख संस्थान की वेबसाइट <http://uppafss.up.nic.in> पर भी उपलब्ध है।

3- कृपया कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को प्राथमिकता के आधार पर अवगत कराने का कष्ट करें।

सादा

भवदीय,

संलग्नक : संस्थान द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र

A.K.M.,
(अजय कुमार शुक्ला)

1- श्री ओपीओ सिंह,
पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०,
1-तिलक मार्ग,
लखनऊ-226001.

2- श्री आर०के० विश्वकर्मा,
अपर पुलिस महानिदेशक,
पी०ए०सी० मुख्यालय, उ०प्र०,
महानगर,
लखनऊ-226006.

अ०शा०प०संख्या-टी (1)/दस-13/96 तद्दिनांक

प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल को सूचनार्थ प्रेषिता

(अजय कुमार शुक्ला)

उ०प्र० पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान,
कक्षा संख्या-55, नवीन भवन, उ०प्र० सचिवालय, लखनऊ-226001.
अनुग्रह अनुदान हेतु आवेदन-पत्र

- 1- प्रार्थी का नाम -----
(प्रार्थी के बैंक खाता की पासबुक की फोटो प्रति संलग्न की जाए)
मोबाइल नं० : ----- ई-मेल आईडी०: -----
- 2- प्रार्थी का कैज्युअल्टी से सम्बन्ध -----
- 3- शहीद कर्मी के माता एवं पिता का नाम -----
(माता/पिता के बैंक खाता की पासबुक की फोटो प्रति संलग्न की जाए)
- 4- पूरा स्थायी पता (पिन कोड सहित) -----

5- आश्रितों की संख्या :

क्रमांक	आश्रितों के नाम	सम्बन्ध	जन्मतिथि	आधार नं०

- 6- कैज्युअल्टी का नाम, नम्बर, रैंक तथा यूनिट का नाम -----
- 7- कैज्युअल्टी का दिनांक तथा स्थान -----
(अ) प्रकृति (मृत्यु/स्थायी अपंगता) -----
(ब) स्थायी अपंगता का प्रतिशत (प्रमाण-पत्र सहित) -----
(स) अपंगता के आधार पर सेवानिवृत्त होने की तिथि -----
- 8- संरक्षक का नाम व पूरा स्थायी पता -----
(अ) व्यवसाय/धन्ये का विवरण, यदि कोई हो -----
(ब) मासिक आय -----
- 9- प्रार्थी द्वारा प्राप्त की जा रही पेंशन का पूर्ण विवरण (पेंशन मंहगाई भत्ता, अन्य भत्ता आदि) -----
- 10- क्या प्रार्थी को इससे पूर्व भी संस्थान या अन्य स्रोतों से कोई सहायता प्राप्त हुई है?
यदि हाँ तो धनराशि, दिनांक, सहायता का उद्देश्य सूचित करें -----
- 11- आवेदित सहायता धनराशि -----

दिनांक :

प्रार्थी के हस्ताक्षर

संस्तुतिकर्ता अधिकारी के कार्यालय हेतु
(अभिलेख अधिकारी/महानिदेशक, पुलिस/पी०ए०सी०/अर्द्ध सैनिक बल)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ----- आश्रित
शहीद/अपंग कर्मी का नाम ----- नम्बर ----- रैंक -----
यूनिट का नाम -----
का आवेदन-पत्र प्रथम बार संस्थान को ----- (शब्दों में -----
मात्र) की सहायता हेतु संस्तुति सहित भेजा जा रहा है।

दिनांक :